ओमप्रकाश बनाम नगर पालिका नागौर व अन्य

निगरानी/न0पा0/नं0/ 45/2016

| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>2016/00210<br>गैर निग. 1 व 2 के अधि– श्री जुगल किशोर<br>निग0 अधि.– श्री रामकिशोर मुण्डैल श्री ठाकुर प्रसाद<br>गैर निग. 4 व 6 के अधि.– श्री भगवानाराम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.01.2021 | पत्रावली पेश हुई। यह प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(8)नियम/डीएलबी/15/5843–6274 दिनांक 10.6.2016 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण ओर संविदा से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने से इस न्यायालय मे विचारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त हुए है।<br>निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक एफ–53(1284)निग/डीएलबी/15/652 दिनांक 08.08.2016 द्वारा आयुक्त नगर परिषद नागौर को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया तथा साथ ही अन्य पक्षकारो को भी सूचित किये जाने हेतु पाबंध किया गया। इसी पत्र की प्रतिलिपि संबंधित पक्षकारो को भी सूचनार्थ प्रेषित कर आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2016 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष उपस्थित होने हेतु निदेशालय स्तर से सीधे ही सूचना दी गई।<br>उपरोक्त क्रम मे पेशी दर पेशी नियत होकर पत्रावली मे आज दिनांक की पेशी नियत है। निगरानीकर्त्ता अभिभाषक अनुपस्थित है। गैर निगरानीकर्त्ता अभिभाषक भी अनुपस्थित है। निगरानीकर्त्ता अभिभाषक को आवाज दिलाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय समाप्ति तक निगरानीकर्त्ता अभिभाषक व निगरानीकर्त्ता को बार बार अवाज दिलाई किन्तु दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(डॉ. वीना प्रधान)<br>संभागीय आयुक्त,<br>अजमेर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:35:41 IST
Reason: SelfAttested